



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 83]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 28 फरवरी 2017—फाल्गुन 9, शक 1938

लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2017

क्र. एफ 2-13-2012-इक्सठ-लोसेप्र-पी.एस.जी. 17.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 मन्. 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नवीन सेवाएं, पदाधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश स्तोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17. ११	लाल/नारंगी/हरी श्रेणी के 10 करोड़ तक लागत वाले उद्योगों 5000 वर्गमीटर तक नियंत्रण वाली आवासीय योजनाओं, बोल्डर गिट्टी एवं रेत खदान को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 के तहत सम्पादित (17) प्रकार के अतिप्रदूषणकारी एवं पर्यावरणीय स्वीकृति वाले एवं खतरनाक अपशिष्टों की रिसाइकिंग उद्योगों को छोड़कर).	क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।	45 कार्य दिवस।	सदस्य सचिव म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण मंडल।	30 कार्य दिवस।	अध्यक्ष, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17.12	लाल/नारंगी/हरी ट्रेणी के 10 करोड़ तक लागत वाले उद्योगों 5000 वर्गमीटर म. प्र. तक निर्माण वाली आवासीय योजनाओं, बोल्डर गिट्टी एवं रेत खदान को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत सम्मति (17) प्रकार के अतिप्रदूषणकारी एवं पर्यावरणीय स्वीकृति वाले एवं खतरनाक अपशिष्टों की रिसाईकलिंग एवं रिरिफाईनिंग वाले उद्योगों को छोड़कर).	क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, बोर्ड.	45 कार्य दिवस.	सदस्य सचिव म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण मंडल.	30 कार्य दिवस.	अध्यक्ष, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.
17.13	लाल/नारंगी/हरी ट्रेणी के 10 करोड़ तक लागत वाले उद्योगों 5000 वर्गमीटर म. प्र. तक निर्माण वाली आवासीय योजनाओं, बोल्डर गिट्टी एवं रेत खदान को परिसंकटमय अपशिष्ट नियम, 2016 के नियम के अन्तर्गत प्राधिकर (17) प्रकार के अतिप्रदूषणकारी एवं पर्यावरणीय स्वीकृति वाले एवं खतरनाक अपशिष्टों की रिसाईकलिंग एवं रिरिफाईनिंग वाले उद्योगों को छोड़कर).	क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, बोर्ड.	45 कार्य दिवस.	सदस्य सचिव म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण मंडल.	30 कार्य दिवस.	अध्यक्ष, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.
17.14	लाल/नारंगी/हरी ट्रेणी के 10 करोड़ लागत से अधिक वृहद/मध्यम उद्योगों 5000 वर्गमीटर से अधिक की निर्माण परियोजनायें, सेजर एवं माइनर मिनरल्स की सभी खदानों को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 के तहत सम्मति.	अध्यक्ष, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	45 कार्य दिवस.	उप सचिव मध्यप्रदेश शासन	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17.15	लाल/नारंगी/हरी श्रेणी के 10 करोड़ लागत से अधिक वृहद/मध्यम उद्योगों 5000 वर्गमीटर से अधिक की निर्माण परियोजनायें, मेजर एवं माईनर मिनरल्स की सभी खदानों को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत् सम्मति.	अध्यक्ष, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	45 कार्य दिवस.	उप सचिव मध्यप्रदेश शासन.	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण.
17.16	लाल/नारंगी/हरी श्रेणी के 10 करोड़ लागत से अधिक वृहद/मध्यम उद्योगों 5000 वर्गमीटर से अधिक की निर्माण परियोजनायें, मेजर एवं माईनर मिनरल्स की सभी खदानों को परिसंकटमय अपशिष्ट नियम, 2016 के नियम के अन्तर्गत प्राधिकार.	अध्यक्ष, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	45 कार्य दिवस.	उप सचिव मध्यप्रदेश शासन.	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण.
17.17	200 बिस्तर या उससे अधिक क्षमता के चिकित्सा संस्थान तथा चिकित्सकीय अपशिष्ट के निपटान व्यवस्था के संचालकों को जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम, 2016 के अन्तर्गत प्राधिकार.	अध्यक्ष, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	45 कार्य दिवस.	उप सचिव मध्यप्रदेश शासन.	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण.
17.18	200 बिस्तर से कम क्षमता के चिकित्सा संस्थान पेथोलोजी, ब्लड बैंक, पशु चिकित्सालय क्लीनिक एवं अन्य चिकित्सा संस्थानों को जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम, 2016 के अन्तर्गत प्राधिकार एवं नवोनीकरण.	क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	45 कार्य दिवस.	सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण मंडल.	30 कार्य दिवस.	अध्यक्ष, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.
17.19	नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम, 2016 के अन्तर्गत नगर पालिक नियम एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट के अपवहन व्यवस्था के संचालकों को प्राधिकार.	अध्यक्ष, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	45 कार्य दिवस.	उप सचिव मध्यप्रदेश शासन.	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17.20 नगरीय त्रोस अधिकारी नियम, 2016 के अन्तर्गत नगर पालिक परिषद् एवं नगर पंचायत को प्राधिकार एवं नवीनीकरण.	लेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	45 कार्य दिवस.	संदर्भ सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण मंडल.	30 कार्य दिवस.	अध्यक्ष, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिरंजन राव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2017

क्र. एफ 2-13-2012-इक्सठ-लोसेप्र-पी.एस.जी. 18.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन्. 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा पूर्व में योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-अपील प्राधिकारी का पदनाम हेतु जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 2-13/2012/61/लोसेप्र/पी.एस.जी.-18 दिनांक 10 अप्रैल 2013 में संशोधन करते हुए पदाधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम तथा द्वितीय अपील अधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है. अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाधिकारी का नाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18.1 जन्य का अप्राप्यता प्रमाण-पत्र.	ग्रामीण क्षेत्र पंचायत सचिव/पंचायत कर्मी.	7 कार्य दिवस.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत).	21 कार्य दिवस.	जिला रजिस्ट्रार	
18.2 मृत्यु का अप्राप्यता प्रमाण-पत्र.	ग्रामीण क्षेत्र पंचायत सचिव/पंचायत कर्मी.	7 कार्य दिवस.	जिला रजिस्ट्रार	21 कार्य दिवस.	अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (कलेक्टर).	